न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

राजगढ जिला चूरू

प्रार्थना पत्र सख्या 164/2020 तारीख निर्णय 19.4.2021

1. शान्ती देवी पत्नी रामनिवास
2. हरि प्रसाद पुत्र रामनिवास
   जिला चूरू
3. राजकुमार पुत्र रामनिवास
4. महेश कुमार पुत्र रामनिवास

जाति ब्राहम्ण निवासी साखु त0 राजगढ

प्रार्थीगण

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब राजगढ जिला चूरू

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र शुद्धी राजस्व रेकार्ड अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपिस्थिति :– 1. दिनेश शर्मा एडवोकेट – वास्ते प्रार्थीगण

2. परोकार राज.

निर्णय

1. प्रार्थना पत्र के सक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 294 तादादी 1.80 हैक्टर वाके रोही साखु त0 राजगढ जिला चूरू में स्थित है। जिस कृषि भूमि में प्रार्थीगण प्रत्येक 1/48 –1/48 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। उक्त कृषि भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पिता व पति रामनिवास के 1/12

हिस्सा की खातेदारी की रही है। प्रार्थीगण के पिता/पति के स्वर्गवास के बाद चढे विरास्तन नामान्तरकरण में प्रार्थीगण के नाम प्रार्थना पत्र के शिर्षक में दर्ज के स्थान पर क्रमश शान्ता, हरिराम, राजु व धर्मेन्द्र पुत्र निवास दर्ज कर दिया गया। उक्त नाम ही विवादस्पद है। प्रार्थीगण के अन्य रेकार्ड जैसे परिवार राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, वोटरलिस्ट आदि में प्रार्थी के सही नाम शिर्षक में दर्जानुसार ही दर्ज है। इसलिये राजस्व रेकार्ड में गलत नामो को सशोधित किया जाकर प्रार्थना पत्र के शिर्षक में दर्ज किया जाना न्यायोचित है जिसे प्रार्थीगण शुद्ध करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को कहा कि वे शुद्धी करवा देवे मगर वे इन्कार हो गये जिस कारण प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक हो गया आदि आदि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने पेश किया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर अप्रार्थीगण को सशुल्क तलब किया गया अप्रार्थी की ओर से पेरोकार उपस्थित आये।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों को सुना गया पत्रावली का ध्यान पुर्वक अवलोकन किया गया बहश प्रार्थना पत्र में वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो का विस्तापूर्वक विवेचन किया सलग्न राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से जमाबन्दी समत् 2057 से 2060 साखु फोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 294 तादादी 1.80 हैक्टर वाके रोही साखु त0 राजगढ जिला चूरू प्रार्थीगण के खातेदारी का है तथा हाल पैमाईश के ससरा नम्बर 294 तादादी 1.80 हैक्टर वाके रोही साखु त0 राजगढ जिला चूरू प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है जो प्रथम दृष्टया देखने से ही लिपिकीय अशुद्धी है जिसे दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थीगण अपने नाम व अपने पिता के नाम में सशोंधन करावाना चाहते है जिसे शुद्ध करने से कोई राज्य हित प्रभावित नहीं होता है । प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की पुष्टि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज तथा पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से होती है तथा इससे कोई राज्य हित प्रभावित नहीं होता है अत प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जा है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खतौनी सख्यां 463 समत 2062 से 2081 रोही ग्राम साखु तहसील राजगढ जिला चूरू में अकितं खसरा नम्बर 294 तादादी 1.80 हैक्टर में प्रार्थीया शान्ता का नाम शान्ती देवी, हरिराम के स्थान पर हरिप्रसाद, राजु के स्थान पर राजकुमार व धमेन्द्र के स्थान पर महेश कुमार करने तथा पिता के नाम निवास के स्थान पर रामनिवास शुद्ध किये जाकर दर्ज किये जाने

उपखण्ड अधिकारी

के आदेश दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में तद्नुसार अमल दरामद हेतु परवाना तहसीलार राजगढ जिला चूरू जारी किया जावे।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 19.4.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ (चूरू)